म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2391 / शुल्क / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग / 2024 दिनांक 05/9/24

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
सेम ग्लोबल विश्वविद्यालय
रायसेन (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2024–25** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक **24.08.2024** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक **05.09.2024** में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यकमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

45	Faculty Of Library Science	B. Lib	12,800	10880	1920	**12800**
46		M. Lib	16,000	13600	2400	**16000**
47		Ph. D (Library Science)	76,000	64600	11400	**76000**
48	Sam College Of Ayurvedic Sciences & Hospital (Faculty Of Ayush)	BAMS	320,000	238000	42000	**280000**
49	Sam College Of Pharmacy (Faculty Of Pharmacy)	B. PHARMACY	61,000	51850	9150	**61000**
50		D.PHARMACY	72,000	58310	10290	**68600**
51	Sardar Ajeet Singh Memorial College (Faculty Of Education)	B.ED	42,500	34000	6000	**40000**
52		M.A.EDUCATION	26,000	22100	3900	**26000**
53		Ph. D EDUCATION	60,000	50575	8925	**59500**
54	Diploma-Certificate & New Courses Of Science, Arts & Engineering	Diploma in English Proficiency & Basic of Skill	11,500	9775	1725	**11500**
55		Diploma in Bakery & Confectionary	12,000	10200	1800	**12000**
56		Diploma in Beauty Culture & Cosmetics	12,000	10200	1800	**12000**
57		P.G. Diploma in Sports Coaching	12,000	10200	1800	**12000**
58		DCA	12,000	10200	1800	**12000**
59		Diploma Animal Husbandry	11,000	9350	1650	**11000**
60		Diploma in Agriculture	13,200	11220	1980	**13200**
61		Diploma in Food & Beverages services	11,500	9775	1725	**11500**
62		Diploma in Food Production (CraftManship)	28,000	23800	4200	**28000**
63		Diploma in Food Processing and Technology	11,500	9775	1725	**11500**
64		Diploma in Renewal Energy Management	11,500	9775	1725	**11500**
65		Diploma in Sanitary Inspector	26,000	22100	3900	**26000**
66		Diploma in House Keeping	12,100	10285	1815	**12100**

1. उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा ।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नही होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नही है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024–25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक............/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024 **भोपाल, दिनांक ....**

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

.... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल